

CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ZIMBABWE

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Zimbabwe (hereinafter referred to as the Contracting Parties)

Inspired by a common desire to establish closer cultural links; and

Desirous of advancing and developing the goodwill and understanding between their people in the fields of art, culture, education, including academic activities in the fields of science and technology, sports, public health and mass media,

Agree as follows:

ARTICLE 1

The provisions of this Agreement shall apply, subject to the national laws and regulations in force, to projects and other forms of co-operation, in the realms of art, culture, education, sports, public health and mass media of information, between the Contracting Parties and may be implemented, in order to contribute towards a better knowledge of their respective cultures and activities in these fields, by the public authorities in India and Zimbabwe or organisations as may be designated by the Contracting Parties.

...

ARTICLE 2

The Contracting Parties shall encourage and facilitate:-

- (a) Reciprocal visits of experts for study tours, delivering lectures and conducting special courses;
- (b) Reciprocal visits of representatives from the educational, cultural, literary, scientific, technical, artistic, sports and journalism fields associations and organisations, to participate in congresses, symposia and seminars;
- (c) Exchange material in the fields of culture, science, education, sports; the translation and exchange of books, periodicals and other related publications, and the exchange of art specimens for exhibition purposes;
- (d) Reciprocal facilities in regard to visits by archaeologists to enable them to gain experience of excavation, as well as preservation and display of archaeological finds, and for training purposes, and also in regard to exchange of casts.

ARTICLE 3

Each Contracting Party shall endeavour to provide facilities and scholarships to students and scientific personnel of the other country seeking to study in its institutions of higher education.

ARTICLE 4

Each Contracting Party undertakes to examine the position of diplomas, certificates and university degrees awarded in the other country for the purposes of recognising whether they are acceptable in its own educational and other institutions.

ARTICLE 5

Each Contracting Party shall endeavour to portray the various facets of life and culture of the other Party, through the mass media, and exchange of suitable materials and programmes.

ARTICLE 6

The Contracting Parties shall promote:-

- (a) exchange of artists, dance and music ensembles;
- (b) exchange of art and other exhibitions;
- (c) exchange of films, documentaries, radio and television programmes;
- (d) exchange of experts in the field of cinematography and participation in each other's Film Festivals;
- (e) exchange of sports team visits.

ARTICLE 7

The Contracting Parties shall, to the extent possible, ensure that textbooks prescribed for their educational institutions, particularly those relating to History and Geography, do not contain any error or misrepresentation of facts about each other's country.

ARTICLE 8

Each Contracting Party shall welcome the establishment in its territory of cultural institutions or friendship associations, in accordance with the Contracting Party's laws, regulations and general policy; it being understood that prior clearance of the Government concerned would be obtained before any such institution is established under this Article.

ARTICLE 9

For the effective implementation of this Agreement, the Contracting Parties may conclude, as required, protocols which elaborate concrete programmes to be carried out, including machinery for the purpose of reviewing periodically the operation of such programmes or of this Agreement generally.

ARTICLE 10

- (a) This Agreement will enter into force when each Contracting Party has complied with its internal Constitutional requirements and has so notified the other Contracting Party through the exchange of Diplomatic Notes;
- (b) It shall be effective for a period of five (5) years from the date on which it enters into force and shall be automatically renewable for similar periods, unless one of the Contracting Parties gives to the other a six (6) months prior notice of its intention to terminate the Agreement;
- (c) All projects undertaken under this Agreement prior to the effective date of termination shall be continued until fully performed, unless the Contracting Parties agree to their termination.

ARTICLE 11

Amendments to this Agreement shall become effective when the Contracting Parties agree in writing thereto, through the exchange of Diplomatic Notes.

...

Signed at New Delhi on the 22nd day of May, 1981, in four originals, two each in Hindi and the English language, all texts being equally authentic, except that in the case of doubt, the English text shall prevail.


FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA



22-5-81.

(S.B. CHAVAN)
MINISTER OF EDUCATION
AND SOCIAL WELFARE

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ZIMBABWE



(WITNESS MANGWENDE)
M.P.
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

भारत गणराज्य की सरकार
और
जिम्बाब्वे गणराज्य की सरकार
के बीच सांस्कृतिक करार

भारत गणराज्य की सरकार और जिम्बाब्वे गणराज्य की सरकार
(इसके बाद इन्हें सविदाकारी पक्षकार कहा जाएगा)

यनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित होकर ; तथा कला, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यक्षेत्रों सहित शिक्षा, खेल, जन-स्वास्थ्य और जन-संचार साधन के क्षेत्रों में अपने-अपने लोगों के बीच सद्भाव और समझ को बढ़ाने तथा विकसित करने की इच्छा से

निम्नलिखित रूप से सहमत हैं

अनुच्छेद 1

इस करार की व्यवस्थाएँ, विद्यमान राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार, सविदाकारी पक्षकारों के बीच कला, संस्कृति, शिक्षा, खेल, जन-स्वास्थ्य और सूचना के जन-संचार साधन के क्षेत्रों की परियोजनाओं और सहयोग के अन्य स्वस्थों पर लागू होंगी और इन्हें अपनी-अपनी संस्कृतियों तथा इन क्षेत्रों के कार्यक्षेत्रों की बेहतर जानकारी प्राप्त करने में योगदान देने के लिए भारत और जिम्बाब्वे के लोक प्राधिकरणों अथवा संगठनों द्वारा, जैसा भी सविदाकारी पक्षकारों द्वारा मनोनीत किया जाए, कार्यान्वित किया जा सकता है ।

अनुच्छेद 2

संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित को प्रोत्साहित करेंगे तथा सुकर बनाएंगे :-

(क) अध्ययन दौरों, व्याख्यान देने और विशेष पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए विशेषज्ञों के पारस्परिक दौरे ;

(ख) कन्फ्रेंसों, संगोष्ठियों और सेमिनारों में भाग लेने के लिए, शैक्षिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, कलात्मक, खेल और पत्रकारिता के क्षेत्रों से संबंधित संघों और संगठनों के प्रतिनिधियों के पारस्परिक दौरे ;

(ग) संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा, खेल के क्षेत्रों में समग्री का आदान-प्रदान ; पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य सम्बन्धित प्रकाशनों का अनुवाद और आदान-प्रदान, और प्रदर्शनी के प्रयोजनों के लिए कला नमूनों का आदान-प्रदान ;

(घ) पुरातत्वविदों के दौरों के लिए, ताकि वे छुट्टाई कार्य, तथा पुरातत्ववीय अवशेषों के परिरक्षण और प्रदर्शन का अनुभव प्राप्त कर सकें, और प्रशिक्षण प्रयोजनों तथा पात्रों के आदान-प्रदान के लिए भी, पारस्परिक सुविधाएं ।

अनुच्छेद 3

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपनी उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन के इच्छुक दूसरे देश के छात्रों और वैज्ञानिक कर्मिकों को सुविधाएं और छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने का प्रयत्न करेगा ।

अनुच्छेद 4

प्रत्येक सँविदाकारी पक्षकार दूसरे देश में प्रदत्त डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों और विश्वविद्यालय डिग्रियों के स्तर की, मान्यता प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए, जाँच करने का वचन देता है कि क्या ये उनकी अपनी शैक्षिक और अन्य संस्थाओं में स्वीकार्य हैं ।

अनुच्छेद 5

प्रत्येक सँविदाकारी पक्षकार जन-संचार साधनों के माध्यम से दूसरे पक्षकार के जीवन और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को चित्रित करने तथा उपयुक्त सामग्री और कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करने का प्रयत्न करेगा ।

अनुच्छेद 6

सँविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित को प्रोत्साहित करेंगे :-

- (क) कला कार्यों, नृत्य और संगीत मंडलियों का आदान-प्रदान ;
- (ख) कला और अन्य प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान ;
- (ग) फ़िल्मों, वृत्त-चित्रों, रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों का आदान-प्रदान ;
- (घ) चलचित्रकला के क्षेत्र के विशेषज्ञों का आदान-प्रदान और एक दूसरे के फिल्म समारोहों में भाग लेना ;
- (ङ) खेल टीम के दौरो का आदान-प्रदान ।

अनुच्छेद 7

संविदाकारी पक्षकार, जहाँ तक संभव होगा, यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी शैक्षिक संस्थाओं में निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों, विशेषकर इतिहास और भूगोल से संबंधित पाठ्य-पुस्तकों में एक दूसरे के देश के बारे में तथ्यों का गलत अथवा मिथ्यावर्णन अन्तर्विष्ट न हो ।

अनुच्छेद 8

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपने क्षेत्र में, संविदाकारी पक्षकार के कानूनों, विनियमों और सामान्य नीति के अनुसार, सांस्कृतिक संस्थाओं और मैत्री संघों की स्थापना का स्वागत करेगा, यह मान लिया गया है कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत ऐसी किसी संस्था की स्थापना से पहले सम्बन्धित सरकार की पूर्व अनुमति ले ली जाएगी ।

अनुच्छेद 9

इस करार के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संविदाकारी पक्षकार यथा अपेक्षित सख्त सम्पन्न कर सकते हैं जिन्हें इस प्रकार के कार्यक्रमों अथवा सामान्यतया इस करार के संचालन की आवधिक रूप से समीक्षा करने के लिए तंत्र सहित कार्यान्वित किए जाने वाली ठीस कार्यक्रमों का विस्तार से प्रतिपादन किया जाएगा ।

अनुच्छेद 10

(क) यह करार, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार द्वारा अपनी आन्तरिक शैक्षणिक अपेक्षाओं को पूरा करने तथा राजनयिक दस्तखतों के आदान-

प्रदान के माध्यम से दूसरे पक्षकार को इसकी सूचना देने के बाद, लागू होगा ।

(ब) यह इसके लागू होने की तारीख से पाँच (5) वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा और समान अवधियों के लिए स्वतः नवीकरणीय होगा, जब तक कि सविदाकारी पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार इस करार को अवसित करने के अपने आशय की दूसरे पक्षकार को छह (6) महीने की पूर्व सूचना न दे ।

(ग) इस करार के अन्तर्गत, इसके अक्सान की प्रभावी तारीख से पहले, शुरु की गई सभी परियोजनाएँ इनके पूरा होने तक जारी रहेंगी, जब तक कि इनके अक्सान के लिए सविदाकारी पक्षकार सहमत न हो जाएँ ।


अनुच्छेद 11

इस करार में शर्तों, राजनयिक दस्तावेज के आदान-प्रदान के माध्यम से, इनके सम्बन्ध में दोनों पक्षकारों में लिखित रूप में सहमति होने के बाद, प्रभावी होंगे ।


नई दिल्ली में, मई, 1981 के 22 वें दिन चार मूल प्रतियों,
हिन्दी और अंग्रेजी भाषा, प्रत्येक में दो-दो प्रतियों, में हस्ताक्षर
किये गये, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे, किन्तु सन्देह
की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा ।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

जिम्बाब्वे गणराज्य की
सरकार की ओर से


22-5-81
(शंकरराव चव्हाण)

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री


(विटनेस मंगवेन्डे)

संसद सदस्य
विदेश मंत्री